

ई नीलामी में निम्न भाग लेने हेतु निर्देश :-

नगर विकास न्यास कोटा की योजना में भूखण्ड/आवास की ई-नीलामी में निम्न प्रकार से नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया जा सकता है।

1. स्वयं के नाम से भूखण्ड क्रय करने पर - स्वयं की DSC से
2. पार्टनर शिप फर्म के नाम से भूखण्ड क्रय करने पर - पार्टनर फर्म की DSC से अथवा किसी भी एक पार्टनर की DSC से
3. कम्पनी के नाम से भूखण्ड क्रय करने पर - कम्पनी की DSC से अथवा कम्पनी द्वारा वैधानिक रूप से अधिकृत व्यक्ति की DSC से
4. HUF के नाम से भूखण्ड क्रय करने पर - HUF की DSC से अथवा (KARTA) कर्ता की DSC से
5. संयुक्त नाम से क्रय करने पर - उनमें से किसी एक व्यक्ति की DSC से
6. संस्था के नाम से क्रय करने पर - संस्था की DSC से अथवा संस्था द्वारा अधिकृत व्यक्ति की DSC से

दिनांक से तक में भाग लेने हेतु निम्न सूचना प्रस्तुत है।

1. संस्थान/फर्म/व्यक्ति का नाम (जिसके नाम से भूखण्ड क्रय करना चाहते हैं)
2. संस्थान/फर्म/व्यक्ति का पता :-
3. संस्थान/फर्म/व्यक्ति के टेलिफोन नं. मोबाईल नं.
फैक्स नं. पेन नं. टिन नं.
4. बोलीदाता का नाम (यदि उपरोक्त संस्था/फर्म के प्रतिनिधि अधिकृत व्यक्ति के रूप में भाग ले रहे हैं तो अधिकृत बाबत प्रमाण की प्रति):
5. बोलीदाता का पता :-
6. बोलीदाता के टेलीफोन नं. मोबाईल नं.
पेन नं. फैक्स नं. वेबसाइट/ई-मेल आईडी
7. किस भूखण्ड के लिए बोली लगाना चाहते हैं, भूखण्ड संख्या व योजना का नाम :-

मेरे स्वज्ञान से उपरोक्त विवरण सही है। उक्त फर्म/व्यक्ति में मुझे दिनांक से तक को भूखण्ड की बोली में भाग लेने के लिए अधिकृत कर रखा है। नीलामी संबंधी सभी नियम/जानकारी मैंने प्राप्त कर ली है व समझ ली है। मैं उक्त भूखण्ड की खुली नीलामी में भाग ले रहा हूँ। इसमें किसी भी प्रकार का तथ्यात्मक विवरण यदि गलत पाया जाता है तो मैं इसके लिए जिम्मेदार रहूँगा। मैं नीलामी की शर्तों से सहमत हूँ। नीलामी की शर्तों के अनुसार जिसके नाम से बोली स्वीकृत होगी, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करूँगा। नगर विकास न्यास अपने नियमों के अन्तर्गत तथा अन्य कानूनी कार्यवाही मेरे विरुद्ध सकता है।